भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1575

दिनांक 26 जुलाई, 2022 को उत्तरार्थ

आईडब्ल्यूएमपी के तहत स्वयं सहायता समूह

1575. श्री फिरोज वरुण गांधीः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन योजना (आईडब्ल्यूएमपी) के तहत भूमिहीन/परिसंपत्ति-विहीन परिवारों के लिए आजीविका कार्यों के तहत वर्तमान में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) आईडब्ल्यूएमपी के तहत भूमिहीन/संपत्तिहीन परिवारों के लिए आजीविका कार्यों के तहत स्वयं सहायता समूहों हेतु बीज निधि के लिए राज्य-वार कितनी राशि जारी की गयी है;

(ग) क्या बीज धन अनुदान के कई चक्रों के संदर्भ में अच्छा प्रदर्शन करने वाले एसएचजी को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क) से (घ): भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर), पहले, देश में बंजरभूमि सहित वर्षासिंचित/अवक्रमित क्षेत्रों के विकास के लिए दिनांक 26.02.2009 से 'एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)' नामक क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा था, जिसको पीएमकेएसवाई की अम्ब्रेला स्कीम के साथ एक घटक के रूप में, वर्ष 2015-16 में मिला दिया गया और इसे प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का वॉटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) नाम दिया गया। स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, सरकार ने देश में वर्ष 2015-16 से डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत किसी नई वॉटरशेड परियोजना को स्वीकृति नहीं दी है। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 की परियोजना अवधि 31.03.2021 को समाप्त हो गई थी। तथापि, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर परियोजना अवधि को बिना किसी वित्तीय सहायता के दिनांक 31.03.2022 तक बढ़ा दिया गया था।

आईडब्ल्यूएमपी/डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत, कुल परियोजना लागत का 9% संपत्तिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका कार्यकलापों के लिए निर्धारित किया था। इस राशि में से, पात्र स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को परिक्रामी निधि (रिवाल्विंग फ़ंड) के रूप में 25000 रु. की राशि प्रदान की जाती है, जिसे 18 महीने की अवधि के भीतर वापस किया जाना होता है।

इसके अतिरिक्त, आजीविका दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, उद्यमशील स्वयं सहायता समूहों के संघों को भी प्रमुख आजीविका कार्यकलापों के लिए सहायता अनुदान के रूप में, जो कार्यकलाप की लागत का 50% अथवा 2.0 लाख रुपये, जो भी कम हो, प्रदान किया जा सकता है। तथापि, सहायता अनुदान राशि, परियोजना के आजीविका घटक (अर्थात कुल परियोजना लागत का 9%) के 30% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुरुआत से, **2.47 लाख** एसएचजी का गठन किया गया है और डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत, आय सृजन के कार्यकलापों को शुरू करने के लिए, परिक्रामी निधि (रिवाल्विंग फ़ंड) के रूप में **837.14 करोड़ रुपये** दिए गए हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 26.07.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न सं 1575 के भाग (क) से (घ) तक के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

कार्यरत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यरत रहे एसएचजी की संख्या	स्वयं-सहायता समूहों को प्रदान की गई निधियां
1	आंध्र प्रदेश	21910	167.77
2	अरुणाचल प्रदेश	312	4.20
3	असम	9035	28.30
4	बिहार	6071	15.18
5	छत्तीसगढ़	2510	5.55
6	गुजरात	7344	3.23
7	हरियाणा	395	0.98
8	हिमाचल प्रदेश	2479	5.69
9	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	839	0.20
10	झारखंड	3628	7.96
11	कर्नाटक	19914	51.61
12	केरल	8828	4.33
13	मध्य प्रदेश	24972	48.54
14	महाराष्ट्र	49005	115.16
15	मणिपुर	67	0.17
16	मेघालय	510	7.31
17	मिजोरम	147	1.10
18	नागालैंड	1499	5.99
19	ओडिशा	21091	44.76
20	पंजाब	380	0.61
21	राजस्थान	9329	22.52
22	सिक्किम	203	0.58
23	तमिलनाडु	26187	68.49
24	तेलंगाना	5092	149.34
25	त्रिपुरा	440	20.88
26	उत्तर प्रदेश	13432	32.34
27	उत्तराखंड	3250	8.13
28	पश्चिम बंगाल	8587	16.22
	कुल योग	**247456**	**837.14**

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार

नोट: गोवा में कोई परियोजना स्वीकृत नहीं है।

*****